ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 253-255

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा का स्तम्भ

1. एकता ओझा
2. डॉ0 सुदर्शन गिरि

1. शोध अध्येत्री– शिक्षाशास्त्र, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, 2. शोध निर्देशक– एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (उ0प्र0) भारत

Received-05.09.2022, Revised-10.09.2022, Accepted-15.09.2022 E-mail: ektaojha912phd@gmail.com

सारांश: – आजादी के बाद से भारत में साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये थे जिनमें से सर्वशिक्षा अभियान सफलतम एवं कारमा उपायों में से एक रहा है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अन्तर्गत देश के सभी बच्चों के लिए पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है। इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप हो तथा चौदह वर्ष तक के बच्चे स्कूल न छोड़ें। सर्वशिक्षा अभियान सभी के लिए शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अन्तर्गत 'सब पढ़ें, सब बढ़ें' का नारा दिया गया है।

कुंजीभूत शब्द– साक्षरता, सर्वशिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा, सार्वभौमिकरण, निःशुल्क शिक्षा, प्रावधान, सार्वभौमिकरण।

सर्व शिक्षा अभियान– निरक्षरता उन्मूलन और सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्र तथा राज्य की सरकारों ने अनेक कदम उठाए हैं। सर्व शिक्षा अभियान ऐसा ही एक कदम है। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। नवीं पंचवर्षीय योजना में इसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच वित्तीय अधिभार का अनुपात 85:15 था, दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में यह अनुपात 75:25 था, वर्तमान में यह अनुपात 50:50 का है। सर्व शिक्षा अभियान इस समय सम्पूर्ण भारत वर्ष में चल रहा है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय आते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 600 जिलों के अन्तर्गत आने वाले 205 मिलियन से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य– सर्व शिक्षा अभियान सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्राथमिक शिक्षा का आधार स्तम्भ है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी जी द्वारा लागू किया गया था जिसके अन्तर्गत भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उपयोगी एवं सार्थक प्रारम्भिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना।
2. समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा लैंगिक असमानता को समाप्त करना। सन 2003 तक सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना। सन् 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
3. गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता तथा जीवन के शिक्षा पर जोर। सन् 2007 तक प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक/बालिका एवं सामाजिक अन्तरों को समाप्त करना। साथ ही सन् 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव सुनिश्चित करना।

सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य कार्यः– सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के अन्तर्गत आने वाले कार्य मुख्यतया निम्नलिखित हैं:–

1. जहाँ विद्यालयी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पर नये विद्यालयों की स्थापना करना।
2. विद्यमान विद्यालयों की आधारभूति संरचना को मजबूत करना।
3. जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहाँ शिक्षक उपलब्ध कराना।
4. शिक्षकों के सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
5. शिक्षण अधिगम सामग्रियों के निर्माण हेतु दान देना।
6. कम्प्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था करना।
7. बालिका शिक्षा तथा कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना साथ ही बच्चों को पुस्तकें आदि की पूर्ति करना।
8. सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियाँ:– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कई गतिविधियाँ संचालित हैं जिसमें से कुछ प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं–

1. प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम– सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह कार्यक्रम राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े खण्डों में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की कमजोर छात्राओं के

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

लिए उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. बेल पुस्तकों का वितरण– दृष्टिहीन बालकों को 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विज्युवल हैण्डीकैप' के माध्यम से ब्रेल पुस्तकों का वितरण कराया जाता है।

3. लिंग्वा लैब (भाषा प्रयोगशाला)– राज्य में शिक्षकों में अंग्रेजी भाषा के प्रति लगाव और उनके अंग्रेजी के उच्चारण को ठीक करने के उद्देश्य से जिलों में लैंग्वा लैब स्थापित किये गए।

4. कस्तूरबा गॉधी आवासीय विद्यालय– वर्ष 2004 से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में पहली से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं हेतु निःशुल्क आवास, भोजन एवं शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

5. लहर कार्यक्रम– 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से कक्षा 1 व 2 के लिए यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

6. वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम– इसके अन्तर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं एवं शिक्षा छोड़ चुके बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

7. कल्प– वर्ष 2001–2005 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा देने के लिए कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से चलाया गया।

8. लोक जुम्बिश परियोजना– जून 1992 में भारत के राजस्थान राज्य में स्वीडन के सहयोग से 'सभी के लिए शिक्षा' प्राप्त करने के लिए प्रारम्भ की गई। यह योजना बाद में इंग्लैण्ड के डिपार्टमेण्ट फॉर इण्टरनेशनल डवलपमेंट के सहयोग से चली जिसकी अवधि 30 जून 2004 को समाप्त हो गई। अब इस परियोजना को विलय सर्व शिक्षा अभियान में कर दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति– शिक्षा के सार्वभौमिकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत चलाए गए 'सर्व शिक्षा अभियान' में बहुत ही अच्छी प्रगति की है। सन् 2001में परिवर्तित इस अत्यन्त महत्वपूर्ण अभियान की प्रभाव परिधि में भारत संघ के समस्त राज्य और संघ क्षेत्र आते हैं। इससे हमारे देश के एक अनुमान के मुताबिक करीब 200 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यह कार्यक्रम भारत वर्ष के सभी जिलों में चल रहा है।

वर्तमान समय में लगभग 9 लाख से भी अधिक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय इस योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। इसमें लगभग 35 लाख से अधिक शिक्षक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी बस्तियों में जहॉ स्कूली सुविधाऍं नहीं हैं वहॉ अतिरिक्त क्लास रूमों, टायलेट, पीने का पानी, रख–रखाव, अनुदान, स्कूल सुधार अनुदान के द्वारा बुनियादी ढॉचे को मजबूत किया जाएगा।

अपर्याप्त संख्या में शिक्षक वाले स्कूलों को कार्यक्रम में अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मौजुदा शिक्षकों की क्षमता को गहन प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रशिक्षण प्रणाली के विकास के लिए अनुदान के प्रावधान और शैक्षणिक आधार ढॉचे के विकास के जरिए उन्नत किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान में कमजोर वर्गों की बालिकाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों सहित कई अन्य पहलू किए गये हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के साकारात्मक पहलू– सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अनेक साकारात्मक पहलू हैं, जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं–

1. यह कार्यक्रम समयबद्ध होता है।
2. इसमें सभी की भागीदारी होती है।
3. इसमें योगदान स्वेच्छा से होता है।
4. इसमें लागत कम आता है।
5. इसके परिणाम पर अधिक बल दिया जाता है।
6. आन्तरिक मूल्यांकन इस कार्यक्रम का मुख्य अंग होता है।
7. इसमें शिक्षण के लिए उचित परिवेश बनाया जाता है।
8. 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान एक अत्यन्त उपयोगी कार्यक्रम है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्निहोत्री, रविन्द (1999), शिक्षा का इतिहास और समस्याएं, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
2. त्यागी, गुरसरण दास (2002), भारत में शिक्षा का विकास, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं उसकी समस्याएं, आगरा, संजय पब्लिकेशन।
4. भटनागर, मिनाक्षी (2007), शिक्षा अनुसंधान मेरठ, लायल बुक डिपो।
5. रूहेल, सत्यपाल (2007), विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन।

*****